उत्तर प्रदेश सरकार

शहरी स्थानीय निकाय
पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के

निर्बन्धनों के अधीन

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

विषय सूची

विषय	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
अध्याय–I		
शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
निधियों का स्रोत	1.3	3
निधियों आवंटन	1.4	3
निधियों की अवमुक्ति	1.5	3–4
शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली	1.6	4
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.7	4
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.8	4
लेखे पर टिप्पणी	1.9	5
तुलन पत्र का रख–रखाव न किया जाना	1.9.1	5
अवशेषों का मिलान न किया जाना	1.9.2	5
सम्पत्ति पंजिका का रख–रखाव न किया जाना	1.9.3	5
अग्रिम पंजिका का रख–रखाव न किया जाना	1.9.4	5
अभुगतानित दायित्व	1.9.5	6
अप्रयुक्त अवशेष	1.9.6	6
रोकड़ बही में अपरिलक्षित आहरित धनराशि	1.9.7	7
लेखे का प्रमाणीकरण	1.9.8	7
संस्तुतियाँ	1.9.9	7

अध्याय–II		
लेखापरीक्षा परिणाम		
नगर निगम		
अग्रिम प्राप्त कर्त्ताओं से अग्रिम की वसूली न किया जाना।	2.1	8
करो, किरायों एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली न किया जाना।	2.2	9
रोड कटिंग प्रभारों की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि	2.3	9
चुँगी चौकी का निस्तारण न किये जाने से राजस्व अप्राप्ति	2.4	10
व्यापार कर की कटौती न किए जाने से राजस्व हानि	2.5	10
भूखण्डों की बिक्री न होने से राजस्व की प्राप्ति न होना	2.6	10
नगर पालिका परिषद		
किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना	2.7	11
अनुदानों/निधि उपयोग न किया जाना	2.8	11
भूमि के उपयोग हेतु शुल्क की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि	2.9	11
नीलामी धनराशि वसूल न किये जाने से राजस्व हानि	2.10	12
रोड कंटिग प्रभारों की वसूली न किया जाना	2.11	12
विलेख शुल्क की अप्राप्ति	2.12	13
सांविधिक वसूलियों का जमा न किया जाना	2.13	13
बजट से अधिक व्यय	2.14	14
आयकर/व्यापार कर की कम कटौती/जमा न किया जाना	2.15	15
असमायोजित अग्रिम	2.16	15
कार्यपूर्ण करने में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर दण्ड अधिरोपित न किया जाना	2.17	15
नगर पंचायत		
किराया, कर एवं उपकर की वसूली न किया जाना	2.18	16
अप्रयुक्त निधि	2.19	16
अनुज्ञप्ति शुल्क कम/अनारोपण से राजस्व हानि	2.20	17
कम मूल्य पर ठेका दिए जाने से राजस्व हानि	2.21	17
स्टाम्प ड्यूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि	2.22	17
आयकर एवं व्यापार कर जमा न किया जाना/कम कटौती/कटौती न किया जाना	2.23	18
संस्तुतियाँ	2.24	18

परिशिष्टियाँ			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर निगमों की सूची	1.8	20
2	वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर पालिका परिषदों की सूची	1.8	21–22
3	वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर पंचायतों की सूची	1.8	23
4	प्राप्ति एवं भुगतान लेखों का रखरखाव न किया जाना	1.9.1	24
5	नगर पालिका परिषदों में रोकड़बही से बैंक पास बुकों का मिलान न किया जाना	1.9.2	25
6	नगर पंचायतों में अवशेषों का मिलान न किया जाना	1.9.2	26
7	नगर पंचायतों में परिसम्पत्ति पंजिका का रखरखाव न किया जाना	1.9.3	27
8	नगर निगमों के अप्रयुक्त अवशेष	1.9.6	28
9	नगर पालिका परिषदों की अप्रयुक्त निधियां	1.9.6	29–31
10	नगर पालिका परिषदों में किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना	2.7	32–33
11	नगर पालिका परिषदों में निधियों को अप्रयुक्त रखना	2.8	34
12	नगर पालिका परिषदों में नीलामी की धनराशि की वसूली न किया जाना	2.10	35
13	नगर पालिका परिषदों में अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	2.16	36
14	नगर पालिका परिषदों में कार्यपूर्ण करने में बिलम्ब के लिए ठेकेदारों पर दण्ड अधिरोपित न करना	2.17	37
15 (a)	नगर पंचायतों में गृह कर की वसूली न किया जाना	2.18 (i)	38
15 (b)	नगर पंचायतों में किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना	2.18 (ii)	39–40
16	नगर पंचायतों में अप्रयुक्त निधि	2.19	41
17	नगर पंचायतों में शासनादेशों के अनुरूप अनुज्ञप्ति शुल्क कम/अनारोपण से राजस्व की हानि	2.20	42
18	नगर पंचायतों में स्टाम्प डयूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि	2.22	43
19	नगर पंचायतों में आयकर एवं व्यापार कर का न जमा किया जाना/न कटौती किया जाना	2.23	44

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी0जी0एस0) के निर्बन्धनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।

2. इस प्रतिवेदन में दो अध्याय है। अध्याय–1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लेखों पर प्रेक्षण एवं टिप्पणियों सहित उनके क्रियाकलापों का संक्षिप्त परिचय है तथा अध्याय–2 में इन निकायों के निरीक्षण पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणी है।

3- प्रतिवेदन में उद्धृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2004–05 के दौरान एवं उसके पूर्व के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2004 से मार्च 2005 की अवधि के 8 नगर निगमों, 45 नगर पालिका परिषदों एवं 30 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेख निरीक्षित किए गए थे। सभी 8 नगर निगमों, 38 नगर पालिका परिषदों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (अधिकार, सेवा एवं शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अधीन सम्पादित की गयी थी।

अध्याय–1
शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

अध्याय– I

शहरी स्थानीय निकायों का विंहगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बारहवें अनुच्छेद में दिये गये 18 विषयों से सम्बन्धित निधि एवं कार्यकारियों के अंतरण के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 74वें संविधान संशोधन को समाविष्ट करने हेतु उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन निधि (संशोधन) अधिनियम 1994 अधिनियमित किया गया । त्रिस्तरीय संरचना में नगर निगमों का शासन उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा जबकि नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों दोनों का शासन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा होता है।

ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) की संस्तुतियों के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में समुचित रूप से लेखे के रख–रखाव एवं लेखापरीक्षा पर नियंत्रण स्थापित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी बनाये जाने के फलस्वरूप अक्टूबर 2011 में राज्य सरकार ने भारत में नियन्त्रण–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के तहत शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा एवं समुचित रूप से लेखे के रख–रखाव पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य सौंप दिया।

1.2 संगठनात्मक ढाँचा

पुनर्गठित उत्तर प्रदेश राज्य में 70 जिले हैं। राज्य में 12 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद एवं 422 नगर पंचायतें हैं। शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत हैः–

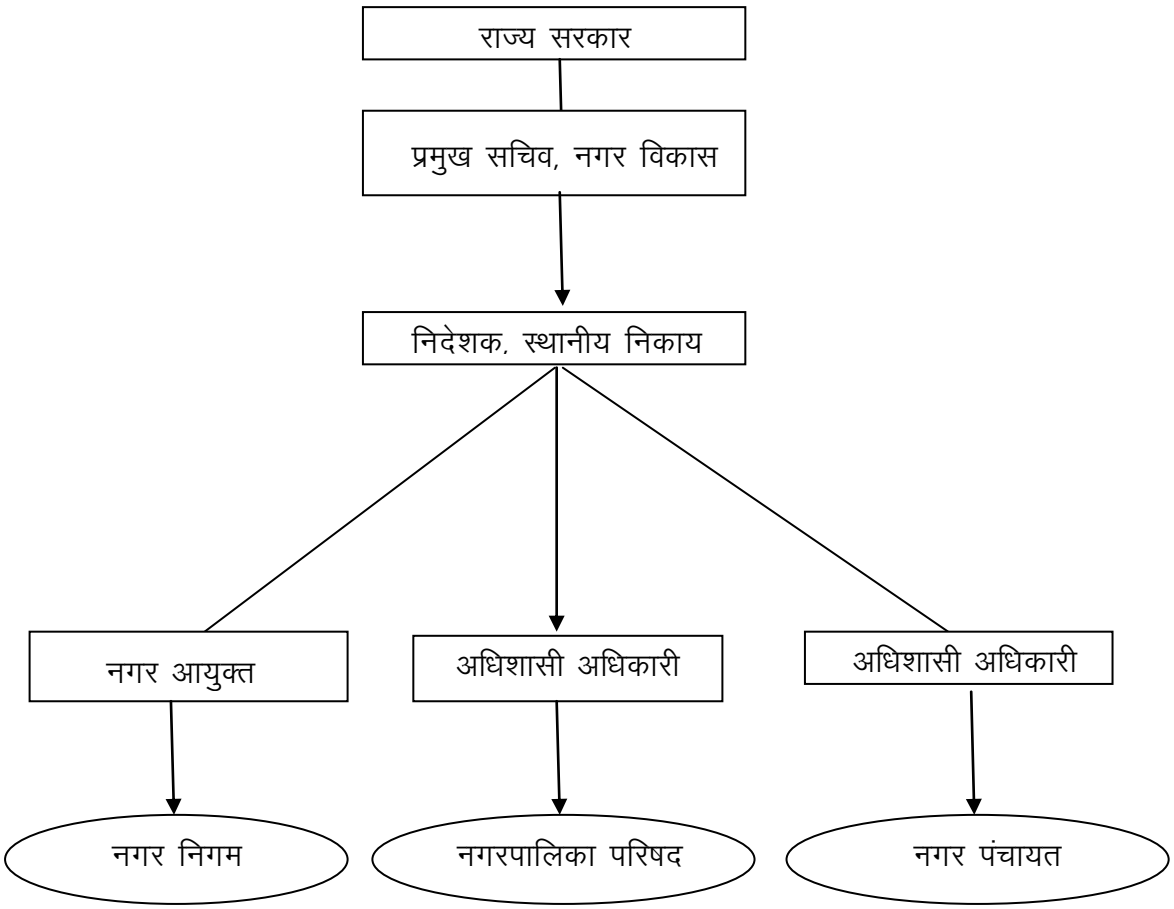

नगर निगम का प्रमुख मेयर जबकि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष होता है।

1.3 निधियों का स्रोत

विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधि प्रदान करती है। शहरी स्थानीय निकायों के निधि के स्रोत निम्नवत हैः–

(i) केन्द्रीय वित्त आयोग (सी0एफ0सी0) की संस्तुतियों के तहत समनुदेशित अनुदान

(ii) प्रथम राज्य वित आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार के सम्पूर्ण निबल कर राज्य प्राप्ति का 7 प्रतिशत आवंटन।

(iii) राज्य सरकार के विभागों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को क्रियाकलापों हेतु प्रेषित निधि।

(iv) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी संसाधनों से अर्जित आय यथा– कर, किराया, शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, तहबजारी, टैक्सी स्टैंड आदि।

1.4 निधियों का आवंटन

प्रथम राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार के सम्पूर्ण निवल कर राजस्व प्राप्ति के 7 प्रतिशत अंतरण में आपस में प्रतिशत अंश सुनिश्चित किये जाने हेतु 80 प्रतिशत जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत क्षेत्रफल को मानक मानते हुए आवंटन करने की सिफारिश किया। तद्नुसार निवल प्राप्ति का 3.12 प्रतिशत नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं 0.76 प्रतिशत नगर पंचायतों हेतु चिन्हित किया गया। इन अनुदानों का नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में आपसी आवंटन सम्पूर्ण आबादी के प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति, सामाजिक पिछड़ापन तथा उनके निजी स्रोतों से अर्जित आय के आधार पर किया जाता है।

1.5 निधियों की अवमुक्ति

केन्द्रीय वित आयोग एवं राज्य वित आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार (वित्त आयोग) आवंटन आदेश के माध्यम से निदेशक, स्थानीय निकाय को सूचना सहित, शहरी स्थानीय निकायों को निधि अवमुक्त करती है। कोषागार से निधि का आहरण राज्य के तत्कालीन तरलता स्तर पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्र सेक्टर योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य प्रशासन को अवमुक्त किया जाता है, जो प्रतिफल में, जिला स्तर पर कार्यान्वयन

कराने वाली विभिन्न अभिकरणों को अवमुक्त करता है। वर्ष 2003–04 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग से रू0 45.58 करोड़ एवं राज्य वित्त आयोग से रू0 825.00 करोड़ अवमुक्त किया गया था।

1.6 शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली

शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न समितियों यथा नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबन्ध समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, तथा प्रशासनिक समिति के माध्यम से अपने क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करती है। वे आय के मानक पर आधारित आवास, स्वरोजगार आदि विभिन्न योजनाओं में लाभार्भियों की पहचान करती है।

1.7 लेखापरीक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 118 के अनुसार मुख्य नगर लेखापरीक्षक नगर निगम के लेखे का प्राथमिक लेखापरीक्षक है। उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की प्राथमिक लेखापरीक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। निदेशक, स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा सभी त्रिस्तरीय शहरी स्थानीय निकायों की सांविधिक लेखापरीक्षा का कार्य करते है। भारत के नियंत्रण–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकारी एवं सेवा शर्ते) अधिनियम के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक धारा 14 के तहत नमूना लेखापरीक्षा के साथ–साथ धारा 20(1) के तहत तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करते है।

1.8 लेखापरीक्षा क्षेत्र

वर्ष 2004–05 में 8 नगर निगमों **(परिशिष्ट–1)**, 45 नगर पालिका परिषदों **(परिशिष्ट–2)** तथा 30 नगर पंचायतों **(परिशिष्ट–3)** की नमूना लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी । लेखापरीक्षा में लेखे पर टिप्पणी के साथ–साथ लेन–देन एवं वित्तीय लेखापरीक्षा शामिल थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी प्रस्तरों में दिये गये है।

1.9 लेखे पर टिप्पणी

1.9.1 तुलन पत्र का रख–रखाव न किया जाना

नगर निगम (गाजियाबाद) तथा नमूना जांच की गयी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में तुलन पत्र नही बनाया गया था। नमूना जांच की गयी दो नगर पालिका परिषदों (चित्रकूट धाम, कर्वी तथा महमूदाबाद, सीतापुर) तथा 19 नगर पंचायतों **(परिशिष्ट–4)** में प्राप्ति एवं भुगतान लेखे का भी रख–रखाव नहीं किया गया था। बैलेंस शीट तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा न बनाये जाने के कारण इन इकाईयों की वित्तीय स्थिति का वास्तविक एंव सही चित्रण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.9.2 अवशेषों का मिलान न किया जाना

31 मार्च 2004 को नगर निगम झांसी एवं तीन नगर पालिका परिषदों[1] **(परिशिष्ट–5)** में रोकड़बही एवं बैंक पासबुक में क्रमशः रू0 1.70 करोड़ एवं रु0 6.73 लाख का अंतर था। नमूना जांच की गयी 3 नगर निगमों (गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ), तीन नगर पालिका परिषदों (मऊरानीपुर, (झासी) , कैराना (मुजफ्फरनगर) कांदला (मुजफ्फरनगर) तथा 28 नगर पंचायतों, **(परिशिष्ट–6)** द्वारा कोषागार /बैंक पासबुक से अवशेषों का मिलान नहीं किया गया था। अवशेषों का मिलान न किये जाने से वित्तीय स्थिति स्थानीय निकायों की सही स्थिति का निरूपण नहीं कर रही थी, परिणामस्वरूप निधि से कपटपूर्ण आहरण, गबन एंव दुर्विनियोग के खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता ।

1.9.3 सम्पत्ति पंजिका का रख–रखाव न किया जाना

नमूना जांच की गयी दो नगर पालिका परिषदों {(श्योहारा (बिजनौर) एवं इटावा)} तथा 9 नगर पंचायतों **(परिशिष्ट–7)** में सम्पत्ति पंजिका का रख–रखाव नहीं किया गया था।

1.9.4 अग्रिम पंजिका का रख–रखाव न किया जाना

नमूना जांच की गयी तीन पंचायतों {(मानिकपुर (चित्रकूट), शंकरगढ़ (इलाहाबाद), पुर्काजी (मुजफ्फरनगर)} में अग्रिम पंजिका का रख–रखाव नहीं किया गया था।

[1] कैराना (मुजफ्फरनगर), कांदला (मुजफ्फरनगर) तथा मऊरानीपुर (झांसी)

1.9.5 अभुगतानित दायित्व

वर्ष 2003–04 के दौरान निम्न वर्णानानुसार, तीन नगर निगमों में रु0 13.31 करोड़ के दायित्वों का भुगतान नहीं किया गया था। नगर निगमों के बजट में दायित्वों के भुगतान के प्रावधान के बावजूद दायित्वों का भुगतान नही किया जा सका था।

(रू0 लाख में)

क्रमांक	नगर निगम का नाम	अवधि	धनराशि
1	गोरखपुर	2003–04	127.57
2	लखनऊ	2003–04	603.63
3	बरेली	2003–04	599.79
		योग	**1330.99**

1.9.6 अप्रयुक्त अवशेष

चार नगर निगमों तथा 16 नगर पालिका परिषदों के वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नानुसार अंतिम अवशेष के रूप में वृहद धनराशि पड़ी थी।

(रू0 लाख में)

क्रमांक	वर्ष	चार नगर निगमों का अंतिम अवशेष #	16 नगर पालिका परिषदों का अंतिम अवशेष
1	2001–02	5428.38	735.35
2	2002–03	9697.78	1487.07
3	2003–04	10138.41	2099.87

(# नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद वार अवशेषों का विवरण परिशिष्ट 8 एवं 9 में दिया गया है।)

निधि/अनुदानों की अवमुक्ति के सापेक्ष व्यय कम था जो नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों की कमजोर क्षमता का द्योतक है जिसके कारण नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन में सुधार की आवश्यकता है।

1.9.7 रोकड़ बही में अपरिलक्षित आहरित धनराशि

अक्टूबर 2002 से दिसम्बर 2002 के मध्य नगर पालिका परिषद फरीदपुर द्वारा रू0 25.47 लाख (पी0एल0ए0 से रू0 22.44 लाख एवं ग्रामीण बैंक से रू0 3.03 लाख) का आहरण किया गया था जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में नहीं की गयी थीं इसमें से रू0 2.20 लाख वेतन पंजिका में माह सितम्बर 2002 हेतु सफाई कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के रूप में दर्शाया गया था जबकि शेष रू0 23.27 लाख का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। व्यय के लेखे के विवरण के अभाव में गबन एवं निधि के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जांच की आवश्यकता है।

1.9.8 लेखे का प्रमाणीकरण

राज्य के अधिनियम/नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रावधान न होने के कारण निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गयी। किसी भी नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में लेखाओं का प्रभावीकरण नहीं किया जा रहा था। प्रमाणीकरण के अभाव में अंतिम लेखे की प्रमाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती तथा इन निकायों के लेखे की सत्यता एवं पारदर्शिता पर लेखापरीक्षा मत व्यक्त नहीं किया जा सकता।

1.9.9 संस्तुतियाँ

उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित संस्तुतियाँ की जा रही है–

निम्नलिखित को सुनिश्चित किए जाने हेतु नगर विकास विभाग तथा निदेशक, स्थानीय निकाय के साथ–साथ सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय प्रबन्धन में अन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिये।

- तुलन पत्र प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, रोकड़बही तथा अन्य प्राथमिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव ।
- रोकड़बही से बैंक लेखों का मिलान।

अध्याय–2

लेन–देनों की लेखापरीक्षा

अध्याय–II

लेखापरीक्षा परिणाम

नगर निगम

2.1 अग्रिम प्राप्त कर्त्ताओं से अग्रिम की वसूली न किया जाना।

अग्रिम रू0 14.56 करोड़ की वसूली न किया जना।

छोटे भुगतान हेतु पारित वाउचरों या मस्टर रोलों के भुगतान हेतु कर्मचारियों/ व्यक्तियों को अस्थाई अग्रिम दिया जाता है। अग्रिम का लेखा शीघ्रातिशीघ्र बन्द कर दिया जाना चाहिये तथा अप्रयुक्त रोकड़ अवशेष को या तो वापस किया जाना चाहिये या वसूली की जानी चाहिये।

तीन नगर निगमों में विगत एक से तीस वर्षों के दौरान कम/भुगतान हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया गया अग्रिम रू0 14.56 करोड़ समायोजन हेतु लम्बित था जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(रू0 लाख में)

क्रमांक	नगर निगम का नाम	अवधि	उद्देश्य	प्राप्तकर्ता का विवरण	अग्रिम की लम्बित धनराशि
1	आगरा	31.03.2004 को	सामग्री क्रय	कर्मचारी	801.50
2	गोरखपुर	1975 से 1986	तदैव	तदैव	556.39
3	बरेली	1975 से 2003–04	तदैव	तदैव	97.94
				योग	**1455.83**

शीघ्र एवं समयान्तर्गत समायोजन/वसूली सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए तथा अग्रिमों की वसूली/समायोजन/अपलेखन हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गैर वसूली योग्य धनराशियों का अपलेखन किया जाना चाहिए।

2.2 करो, किरायों एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली न किया जाना।

शहरी स्थानीय निकाय अपने निजी स्रोतो–करो, किराया, शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क, तहबाजारी, टैक्सी पड़ाव आदि से राजस्व प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2003–04 में तीन नगर निगमों में रू0 19.05 करोड़ की मांग के सापेक्ष मात्र रू0 8.82 करोड़ की वसूली की गयी थीं। निम्न विवरणानुसार एक वर्ष से अधिक समय से धनराशि रू0 10. 23 करोड़ किरायेदारों, अनुज्ञप्ति धारियों तथा ठेकेदारों से भाड़ा, अनुज्ञप्ति शुल्क तथा कर आदि के रूप में वसूली हेतु लम्बित थीः–

(रू0 लाख में)

क्रमांक	नगर निगम का नाम	प्रकार	वर्ष 2003–04 में मांग	वर्ष 2003–04 में वसूली	31.03.2004 को वसूली हेतु अवशेष
1	आगरा	सम्पत्ति एवं विभव कर[1]	800.20	333.94	466.26
2	गाजियाबाद	बैनर एवं दीवार पुताई	10.01	5.00	5.01
		तहबाजारी[2]	3.93	–	3.93
3	बरेली	जल कर	287.40	132.10	155.30
		जल प्रभार	130.70	9.76	120.94
		गृहकर	252.14	99.28	152.86
		सीवर कर	69.02	22.88	46.14
		विविध	352.14	279.45	72.69
		महायोग	**1905.54**	**882.41**	**1023.13**

उ0प्र0 नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916 के अनुसार नगर निगमों द्वारा बकाया मांग की वसूली हेतु कार्यवाही करने में विफलता के कारण लम्बित वसूली की सीमा तक नगर निगम राजस्व से वंचित थे।

2.3 रोड कटिंग प्रभारों की वसूली न किए जाने से राजस्व की हानि

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने भूमि के अंदर केबिल डालने हेतु गाजियाबाद में वर्ष 1988–89 से 1996–97 एवं 1999–2000 से 2003–04 तथा नगर निगम बरेली में वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के दौरान सड़कों की खुदाई की। रोड कटिंग प्रभार रू0 3.81 करोड़ (नगर निगम गाजियाबाद में रू0 2.79 करोड़ तथा नगर निगम बरेली में रू0 1.02 करोड़)

[1] सम्पत्ति एवं विभव कर
[2] नगर निगम सीमा के अंदर व्यापार एवं बोली पर कर

का बिल यद्यपि कि भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया था, परन्तु 31 मार्च 2004 तक वसूली लम्बित थी।

इस वृहद धनराशि का लम्बे समय से वसूली लम्बित रहने से न केवल नगर निगमों की वित्तीय स्थिति प्रभावित रही बल्कि प्रदान किये जाने वाली जनसुविधाओं के कार्यों को बुरी तरह प्रभावित किया।

2.4 चुँगी चौकी का निस्तारण न किये जाने से राजस्व अप्राप्ति

चुँगी भवन (चुँगी चौकी)

उ0प्र0 सरकार ने चुँगी चौकी भवनों के निस्तारण हेतु नगर निगमों को निर्देश दिया (अगस्त 2001) क्योंकि 1989 से चुँगी समाप्त हो जाने के कारण उनका कोई उपयोग नहीं था।

नगर निगम लखनऊ ने सर्वेक्षण के आधार पर रू0 1.59 करोड़ की आकलित लागत पर 17 चिन्हित भवनों के निस्तारण हेतु पहचान की । इन भवनों का निस्तारण अभी तक लम्बित था (मई 2005)।

2.5 व्यापार कर की कटौती न किए जाने से राजस्व हानि

मई 1987 से जून 1988 के दौरान नगर निगम कानपुर ने रु0 13.95 करोड़ की लागत से ठेकेदारी पर कार्य कराया। उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी थी। व्यापार कर विभाग से नोटिस प्राप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूली करने के बजाय 1991 से मार्च 2003 के दौरान नगर निगम ने अपनी स्वयं की निधि से रू0 55.78 लाख भुगतान किया । इसके अतिरिक्त व्यापार कर के विलम्ब से जमा करने के कारण व्यापार कर विभाग को रू0 0.42 करोड़ दण्ड स्वरूप भुगतान करना पड़ा ।

2.6 भूखण्डों की बिक्री न होने से राजस्व रू0 87.12 लाख की प्राप्ति न होना

नगर निगम गोरखपुर ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस कालोनी में रू0 2750.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से 72 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के 83 वाणिज्यिक भूखण्डों का विकास (1999–2000) किया। उपर्युक्त दर पर मात्र 9 भूखण्ड ही बिक सके। जिसके कारण अक्टूबर 2001 में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शेष भूखण्डों हेतु 25 प्रतिशत छूट पर बिक्री का प्रस्ताव दिया जाए। छूट के बावजूद, मई 2004 तक मात्र 30 भूखण्ड ही आवंटित/बिके थे । नगर निगम द्वारा बताया गया कि

शेष 44 भूखण्ड मुख्य मार्ग से दूर तथा हाईटेन्शन तारों के निकट होने के कारण नहीं बिक सके जो त्रुटिपूर्ण नियोजन का द्योतक है।

इस प्रकार स्थल चयन में समुचित नियोजन न होने के कारण नगर निगम रू0 87.12 लाख (44 x 72 x 2750) राजस्व से वंचित रहा।

नगर पालिका परिषद

2.7 किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना

नगर पालिका अधिनियम 1916 के अनुसार किराया, अनुज्ञप्ति शुल्क तथा कर नगर पालिका परिषदों की निधि के महत्वपूर्ण स्रोत है। 14 नगर पालिका परिषदों में 31 मार्च 2004 को जलकर, गृहकर, तहबाजारी, कारकस, सीवर प्रभार, मीटर प्रभार तथा दुकान किराया आदि की धनराशि रू0 8.61 करोड़ की वसूली लंबित थी **(परिशिष्ट –10)**।

राजस्व वसूली में कमी के कारण निजी स्रोतों से राजस्व प्राप्ति में कमी रही, इस प्रकार निधि की समग्र उपलब्धता में कमी रही ।

2.8 अनुदानों/निधि उपयोग न किया जाना

नमूना जांच की गयी 13 नगर पालिका परिषदों में विभिन्न स्रोतों से सड़क/नाली, वधशाला, विद्यालय भवन, आदि के निर्माण हेतु वर्ष 2003–04 तक रू0 7.37 करोड़ की निधि/अनुदान प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त में से वर्ष 2003–04 तक रू0 4.45 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा था **(परिशिष्ट–11)** धनराशि का उपभोग न किए जाने से इस धनराशि से अपेक्षित जन सुविधाओं की स्थापना/मजबूती से नागरिक वंचित रहे।

2.9 भूमि के उपयोग हेतु शुल्क की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि

विभिन्न उद्देश्यों हेतु भूमि का उपयोग करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा परिषद को शुल्क का भुगतान किया जाना था। नगर पालिका परिषद फतेहपुर द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार भूमि के उपयोग हेतु बिजली विभाग से रू0 2.12 करोड़ के मांग की नोटिस जारी की गयी थी जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

क्रमांक	बिजली विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद की भूमि के उपयोग का उद्देश्य	भूमि का क्षेत्रफल/भूमि का उपयोग	अवधि	दर	धनराशि (रू0 लाख में)
1	इलेक्ट्रिल सेल तथा टूल्स	6770 वर्ग मी0	1981–82 से 2003–04	प्रति वर्ग मी0 प्रति माह –10	178.73
2	ट्रांसफार्मर (स0–86)	535 वर्गमी0	1997–98 से 2003–04	तदैव	3.85
3	विद्युत पोल	3500 सं0	1997–98 से 2003–04	रू0 10 प्रतिपोल /प्रतिमाह	29.40
				योग	**211.98**

धनराशि रू0 2.12 करोड़ की वसूली न किए जाने से नगर पालिका परिषद विभिन्न जन सुविधा सम्बन्धी कार्यो का वित्त पोषण नहीं कर सकी।

2.10 नीलामी धनराशि वसूल न किये जाने से राजस्व हानि

अपने निजी स्रोतों से राजस्व प्राप्ति हेतु विभिन्न उद्देश्यों (तांगा पड़ाव, सब्जीमंडी, पार्किंग, मेला, वधशाला आदि) के लिए नगर पालिका परिषदों की भूमि के उपयोग हेतु नीलामी करायी जाती है तथा ठेका दिया जाता है। वर्ष 1987–88 से 2002–03 के दौरान नमूना जांच की गयी दो नगर पालिका परिषदों में ठेकेदारों से ठेके की धनराशि रू0 9.47 लाख (1994–94 से 2001–02 के दौरान नगर पालिका परिषद बदायूँ में रू0 7.45 तथा नगर पालिका परिषद कैराना (मुजफ्फर नगर) में रू0 2.02 लाख) वसूली हेतु लम्बित थी। नीलामी धनराशि की वसूली में शिथिलता से स्पष्ट है कि विभिन्न जनसुविधा सम्बन्धी क्रियाकलापों के वित्त पोषण हेतु राजस्व स्रोतों को नगर पालिका परिषदों द्वारा छोड़ दिया गया **(परिशिष्ट–12)**।

2.11 रोड कटिंग प्रभारों की वसूली न किया जाना

नगर पालिका परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सड़क, नाली, ईंट कार्य को क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में दण्ड अधिरोपित करने एवं प्रतिकर की वसूली हेतु अधिकृत है। नगर पालिका परिषद बिन्दकी (फतेहपुर) में टेलीफोन विभाग से रोड कटिंग प्रभार, नयी जलापूर्ति पाइप लाइन की क्षति हेतु दण्ड तथा नाली की क्षति हेतु प्रतिकर धनराशि रू0 4.91 लाख वर्ष 2001–02 से सितम्बर 2004 तक वसूली नहीं की गयी थी जिसका उपयोग सड़कों की क्षतिपूर्ति हेतु किया जा सकता था।

2.12 विलेख शुल्क की अप्राप्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 128 की उपधारा (1) के अनुसार नगर पालिका परिषद के परिक्षेत्र के अंतर्गत स्थित स्थायी सम्पत्तियों के अंतरण विलेखों पर कर रोपित कर सकती है जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम के अनुसार ड्यूटी हेतु संगठित प्रतिफल की धनराशि पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। सभी आनुषांगिक प्रकारों की कटौती के उपरान्त उपरोक्त वृद्धि की समस्त प्राप्तियों को नगर पालिका परिषदों को अंतरित किया जाना था।

नगर पालिका परिषद कन्नौज द्वारा अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद वर्ष 1998 से 2002–03 के दौरान पंजीकरण विभाग से विलेख शुल्क से सम्बन्धित धनराशि रू0 48.28 लाख प्राप्त नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

वर्ष	धनराशि (रू0)	अभ्युक्ति
1998–99	655445.00	मार्च 1999 को छोड़कर
1999–00	978259.00	
2000–01	1013256.00	
2001–02	1238171.00	
2002–03	943275.00	सितम्बर 2003 तक
योग	**4828406.00**	

उक्त विशाल/विपुल धनराशि प्राप्त न किए जाने से नगर पालिका परिषद विविध जनसुविधा सम्बन्धी कार्यो हेतु वांछित वित्तीय संसाधनों से वंचित रहा।

2.13 सांविधिक वसूलियों का जमा न किया जाना

(i) उ0प्र0 नगर पालिका (केन्द्रीकृत) सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1981 की नियम 11 के अनुसार नगर पालिका परिषद द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन पेंशन निधि लेखा में पेंशन अंशदान की धनराशि जमा किया जाना चाहिए।

नगर पालिका परिषद इटावा में राज्य सरकार से निधि न प्राप्त होने के कारण अप्रैल 1985 से मार्च 2003 तक पेंशन अंशदान की देय धनराशि रू0 1.00 करोड़ लेखे में जमा नहीं की गयी थी। सम्बन्धित शीर्ष में निधि की अनुपलब्धता के कारण सितम्बर 1999 से दिसम्बर 2003 के मध्य सेवा निवृत्त 10 कर्मचारियों को जून 2004 तक भुगतान नहीं किया गया था।

(ii) भविष्य निधि नियमों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की कटौती की गयी भविष्य निधि की धनराशि को इस उद्देश्य हेतु बैंक में खोले गये कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाना चाहिए था।

दो नगर पालिका परिषदों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों के वेतन से की गयी कटौती की धनराशि रू0 1.34 करोड़ (रू0 0.98 करोड़ इटावा में तथा रू0 0.36 करोड फतेहपुर में) कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा न करके अन्यत्र व्यय कर दिया गया (मार्च 2003) जिससे सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की मुश्किले बढ़ गयी ।

2.14 बजट से अधिक व्यय

वित्तीय नियमों एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 103 के प्रावधानों के अनुसार बजट से अधिक व्यय निषिद्ध है। नगर पालिका परिषदें बिना आधिक्य व्यय के विनियमितीकरण की प्राविधानित प्रक्रिया का पालन किये सम्बन्धित शीर्षो हेतु पारित बजट से अधिक व्यय नहीं कर सकती है।

दो नगर पालिका परिषदों में निम्न विवरणानुसार वर्ष 2002–04 के दौरान बिना आधिक्य के विनियमितीकरण का प्रावधान किए कुछ शीर्षों पर बजट प्रावधानों के सापेक्ष रू0 14.81 लाख का व्यय किया गया था।

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	नगरपालिका परिषद का नाम	वर्ष	विवरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	व्यय का आधिक्य
1	सहारनपुर	2003–04	(1) सामान्य प्रशासन	36.00	39.79	3.79
			(2) अतिरिक्त अधिष्ठान	1.50	3.83	2.33
2	विलासपुर (रामपुर)	2002–03	स्वच्छता	31.20	32.33	1.13
		2003–04	स्वच्छता	30.00	37.56	7.56
					योग	**14.81**

बजट प्रावधानों से अधिक व्यय एवं प्रावधानित प्रक्रिया के पालन में विफलता, बजट नियंत्रण प्रक्रिया कमजोर होने का द्योतक हैं।

2.15 आयकर/व्यापार कर की कम कटौती/जमा न किया जाना

वर्ष 2001 से 2004 की अवधि के दौरान नगर पालिका परिषद बिन्दकी (फतेहपुर) में ठेकेदारों के देयकों से रू0 4.01 लाख की कटौती की गयी थी। शासन को राजस्व से वंचित रखते हुए तथा व्यापार कर अधिनियम 1948 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त धनराशि अगस्त 2004 तक शासकीय लेखे में नहीं जमा की गयी थी।

इसी नगर पालिका परिषद में वर्ष 2003–04 के दौरान ठेकेदारों के देयकों से स्रोत पर आयकर कटौती की धनराशि रू0 0.86 लाख अगस्त 2004 तक शासकीय लेखे में जमा नही की गयी थीं इसी प्रकार नगर पालिका परिषद घनौरा (जे0पी0नगर) में ठेकेदार के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्य पर रू0 8.77 लाख व्यय किया गया था। यद्यपि कि आयकर के रूप में रू0 0.20 लाख कटौती किया जाना था जिसके सापेक्ष मात्र रू0 0.18 लाख की कटौती की गयी थी, परिणामस्वरूप राजस्व वसूली में रू0 0.02 लाख की कमी रही ।

2.16 असमायोजित अग्रिम

कर्मचारियों को विविध उद्देश्यों हेतु दिये गये अग्रिमों का समायोजन अग्रिम वाले वर्ष के अंत के पूर्व तक कर लिया जाना चाहिए तथा पूर्व अग्रिम के समायोजन के उपरान्त ही दूसरा अग्रिम दिया जाना चाहिए।

वर्ष 1986–87 से 2003–04 के मध्य नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर (जौनपुर) में आठ कर्मचारियों को सामग्री तथा विविध मरम्मत कार्यो आदि के लिए रू0 2.00 लाख अग्रिम दिया गया था जो अगस्त 2004 तक असमायोजित था **(परिशिष्ट–13)**।

यह नगर पालिका परिषद की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का द्योतक है।

2.17 कार्यपूर्ण करने में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर दण्ड अधिरोपित न किया जाना

अक्टूबर 2001 से जनवरी 2002 के मध्य नगर पालिका परिषद, पालिया कला (लखीमपुर खीरी) में ठेकेदारों से निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध किए गए थे। कार्यपूर्णता में विलम्ब हेतु अनुबन्ध की शर्तों में दण्ड का प्रावधान था, जिसके अनुसार प्रत्येक विलम्ब दिन हेतु रू0 50 प्रतिदिन की दर से ठेकेदार से वसूल किया जाना था। ठेकेदारों द्वारा कार्यपूर्णता में विलम्ब हेतु दण्ड की धनराशि रू0 0.37 लाख की वसूली अगस्त 2004 तक नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट–14)**।

नगर पंचायत

2.18 किराया, कर एवं उपकर की वसूली न किया जाना

(i) 18 नगर पंचायतों की गृहकर की रू0 104.81 लाख की मांग के सापेक्ष 31 मार्च 2004 तक रू0 79.53 लाख की वसूली नहीं की जा सकी थी, इस प्रकार नगर पंचायत विविध जन सुविधाओं के विकास एवं रख रखाव हेतु वांछित महत्वपूर्ण राजस्व से वंचित रही **[परिशिष्ट 15(अ)]** ।

चार नगर पंचायतों [गोपामऊ (हरदोई), मेहनगर (आजमगढ़) कटघर लालगंज (आजमगढ़) तथा केराकत (जौनपुर)] में लेखापरीक्षा में वर्ष 2003–04 में मांग व वसूली का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी ।

(ii) 20 नगर पंचायतों में 31 मार्च 2004 को विविध देय रू0 65.37 लाख किरायेदारों, अनुज्ञप्ति धारियों, ठेकेदारों आदि से वसूली हेतु लम्बित थे। लंबित वसूलियों के कारण जन सुविधाओं के कार्यो के सम्पन्न करने हेतु वांछित संसाधनों से नगर पंचायते वंचित रही **[परिशिष्ट –15 (ब)]**

2.19 अप्रयुक्त निधि

विभिन्न उद्देश्यों हेतु 6 नगर पंचायतों को विविध स्रोतों, यथा ग्यारहवाँ वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा अवस्थापना निधि से अवमुक्त रू0 109.95 लाख में से धनराशि रू0 42.98 लाख अप्रयुक्त पड़ी रही (विवरण निम्नवत है)।

परिणामस्वरूप निधि अप्रयुक्त पड़ी रही तथा लोग आशायित लाभ से वंचित रहें।

(रू0 लाख में)

निधियों का स्रोत	अवमुक्त धनराशि	उपभोग की गयी धनराशि	अप्रयुक्त धनराशि
ग्यारहवाँ वित्त आयोग	7.61	2.78	4.83
राज्य वित्त आयोग	81.84	52.55	29.29
अवस्थापना निधि	20.50	11.64	8.86
योग	109.95	66.97	42.98

(नगर पंचायतवार अप्रयुक्त धनराशि का विवरण परिशिष्ट–16 में दिया गया है)

2.20 अनुज्ञप्ति शुल्क कम/अनारोपण से राजस्व हानि

उ0प्र0 शासन ने दिनांक 27 अक्टूबर 1994 तथा तथा दिनांक 16 दिसम्बर 1997 को जारी आदेश के माध्यम से विविध क्रियाकलापों (दुकान, होटल, नर्सिंग होम, परिवहन आदि) हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क की बढ़ी हुई दरें सूचित किया जो 31 मार्च 1999 से नगर पंचायतों में लागू होना था।

लेखा परीक्षा में नमूना जांच की गयी तीन नगर पंचायतों में अगस्त 2004 तक अनुज्ञप्ति शुल्क के कम/अनारोपण से रू0 11.63 लाख की राजस्व हानि प्रकाश में आयी जिससे नगर पंचायतों द्वारा विविध क्रियाकलापों के सम्पादन हेतु संसाधनों की उपलब्धता की कमी रही **(परिशिष्ट–17)**।

2.21 कम मूल्य पर ठेका दिए जाने से राजस्व हानि

कम मूल्य पर ठेका दिये जाने से रू0 8.28 लाख की राजस्व हानि ।

नगर पंचायत, सासनी, महामायानगर में तहबाजारी, तांगा पड़ाव एवं पैंठ मवेशी आदि का ठेका नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर दिये जाने के कारण राजस्व हानि रू0 8.28 लाख का प्रकरण प्रकाश में आया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(रू0 लाख में)

क्रमांक	विवरण	2002–03			2003–04		
		निर्धारित दर	नीलामी दर	अंतर	निर्धारित दर	नीलामी दर	अंतर
1	तहबाजारी	3.00	2.22	0.78	4.00	2.50	1.50
2	पैठ मवेशी	1.00	0.40	0.60	1.00	0.41	0.59
3	तांगा पड़ाव अलीगढ़ गेट	4.00	2.90	1.10	6.00	4.60	1.40
4	तंगा पड़ाव हाथरस गेट	5.00	4.20	0.80	6.00	5.42	0.58
5	तांगा पड़ाव विजयागढ़ गेट	2.00	1.28	0.72	2.00	1.79	0.21
	योग			**4.00**			**4.28**

2.22 स्टाम्प ड्यूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि

स्टाम्प ड्यूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि रू0 5.09 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (यथासंशोधित) के अनुसार संविदाओं के अनुबन्धों पर स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित किया जाना चाहिए।

नमूना जांच की गयी 7 नगर पंचायतों में विभिन्न उद्देश्यों हेतु ठेके दिये गये थे परन्तु स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित नही किए गए थे, परिणामस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित न किए जाने से रू0 5.09 लाख की राजस्व हानि हुई **(परिशिष्ट–18)**।

2.23 आयकर एवं व्यापार कर का न जमा किया जाना/कम कटौती/कटौती न किया जाना

आयकर एवं व्यापार कर की धनराशि रू0 1.33 लाख कटौती न किया जाना/कम कटौती/ जमा न किया जाना ।

वर्ष 2003–04 के दौरान 7 नमूना जांच की गयी नगर पंचायतों में से –

(i) दो नगर पंचायतों[3] में ठेकेदारों के बिलों से कटौती की गयी व्यापार कर की धनराशि रू0 0.34 लाख एवं आयकर की धनराशि रू0 0.20 लाख शासकीय लेखे में नहीं जमा की गयी थी।

(ii) चार नगर पंचायतों[4] में ठेकेदारों को भुगतान करते समय व्यापार कर रू0 0.48 लाख एवं आयकर रू0 0.26 लाख, बिलों से कटौती नहीं की गयी थी।

(iii) दो नगर पंचायतों[5] में आयकर की धनराशि रू0 0.02 लाख कम कटौती की गयी थी । और

(iv) एक नगर पंचायत[6] में ठेकेदार के बिल से व्यापार कर की धनराशि रू0 0.03 लाख कम कटौती की गयी थी **(परिशिष्ट–19)**। ठेकेदार को असम्यक लाभ देने के अतिरिक्त इससे न केवल लागू अधिनियम का उल्लंघन हुआ बल्कि शासन राजस्व से वंचित रहा।

2.24 संस्तुतियाँ

उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संदर्भ में राज्य सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित संस्तुतियाँ की जाती हैः–

1. निम्नलिखित को सुनिश्चित किए जाने हेतु नगर निगम विभाग तथा निदेशक स्थानीय निकाय के साथ–साथ सम्बन्धित नगरीय निकाय के प्रबन्धन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

[3] शंकरगढ. (इलाहाबाद) तथा शासनी (महामायानगर)
[4] सरायमीर (आजमगढ़), मेहनगर (आजमगढ़), कटघर लालगंज (आजमगढ़) तथा महामायानगर
[5] झालू (बिजनौर) तथा किराकत (जौनपुर)
[6] किराकत (जौनपुर)

- अनियमित व्यय हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण
- लम्बित अग्रिम आदि की शीघ्र वसूली/समायोजन/बट्टे खाते डालने
- राजस्व संग्रह/वसूली में सुधार
- राजस्व हानि/रिसाव को रोकना
- निधि का सामयिक एवं दक्षतापूर्ण उपयोग
- सांविधिक करों की सामयिक कटौती तथा शासकीय लेखों में प्रेषण

2. राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों में सांविधिक लेखाकारों द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखें के प्रमाणीकरण के प्रावधानों को शामिल करते हुए आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिऐ।

इलाहाबाद
दिनांकः 25 अगस्त, 2006

वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(स्थानीय निकाय)

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट–1

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.8 ; पृष्ठ सं0 4)

वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर निगमों की सूची

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	भा.के नि.म.ले.प. (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधि0 1971 के अधीन की गयी लेखापरीक्षा
1.	गाज़ियाबाद	14
2.	आगरा	14
3.	लखनऊ	14
4.	बरेली	14
5.	झाँसी	14
6.	मेरठ	14
7.	गोरखपुर	14
8.	कानपुर	14

परिशिष्ट–2

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.8 ; पृष्ठ सं0–4)

वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर पालिका परिषदों की सूची

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषदों का नाम	भा.के नि.म.ले.प .(कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधि0 1971 के अधीन की गयी नगर पालिका परिषदों की लेखापरीक्षा
1.	अतर्रा, बाँदा	14
2.	औरैया	14
3.	अयोध्या, फैजाबाद	14
4.	बदायूँ	14
5.	बाँदा	14
6.	भदोही	14
7.	भरथना, इटावा	14
8.	बिलासपुर, रामपुर	14
9.	बिन्दकी, फतेहपुर	14
10.	बुलन्दशहर	14
11.	इटावा	14
12.	फरीदपुर, बरेली	14
13.	फरूख़ाबाद	14
14.	फतेहपुर	14
15.	फिरोज़ाबाद	14
16.	धनौरा, जे0पी0 नगर	14
17.	हमीरपुर	14
18.	हापुड़	14
19.	हरदोई	14
20.	हसनपुर, जे0पी0 नगर	14
21.	जलेसर, एटा	14
22.	कैराना, मुजफ्फरनगर	14
23.	कालपी, जालौन	14
24.	कन्नौज	14
25.	कासगंज, एटा	14
26.	कायमगंज, फर्रूख़ाबाद	14
27.	ललितपुर	14
28.	महोबा	14
29.	मऊरानीपुर, झाँसी	14

30.	मोदी नगर, गाजियाबाद	14
31.	मुजफ्फरनगर	14
32.	प्रतापगढ़	14
33.	राम नगर, वाराणसी	14
34.	सहानरपुर	14
35.	शाहजहाँपुर	14
36.	सामली मुज्ज़फरनगर	14
37.	शिकोहाबाद	14
38.	सीतापुर	14
39.	चित्रकुटधाम, कर्वी	20(1)
40.	काण्डला, मुज्ज़फरनगर	20(1)
41.	मल्लावा, हरदोई	20(1)
42.	मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर	20(1)
43.	पल्लीकला, लखीमपुर खीरी	20(1)
44.	सरसावा, सहारनपुर	20(1)
45.	श्योहारा, बिजनौर	20(1)

परिशिष्ट–3

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.8 ; पृष्ठ सं0–4)

वर्ष 2004–05 में निरीक्षित नगर पंचायतों की सूची

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	भा.के नि.म.ले.प.(कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधि0 1971 के अधीन की गयी लेखापरीक्षा
1.	आम्बेहारा (सहारनपुर)	20(1)
2.	बड़ापुर (बिजनौर)	20(1)
3.	बेनीगंज (हरदोई)	20(1)
4.	गोपामऊ (हरदोई)	20(1)
5.	हरगांव (सीतापुर)	20(1)
6.	जलालाबाद (मुज्ज़फरनगर)	20(1)
7.	झालू (बिजनौर)	20(1)
8.	कॉठ (मुरादाबाद)	20(1)
9.	कठघर लालगंज (आज़मगढ़)	20(1)
10.	केराकत (जौनपुर)	20(1)
11.	खीरी (लखीमपुर)	20(1)
12.	मछलीशहर (जौनपुर)	20(1)
13.	मड़ियाहूँ (जौनपुर)	20(1)
14.	महोली (सीतापुर)	20(1)
15.	मानिकपुर (चित्रकुट)	20(1)
16.	मेहनगर (आज़मगढ़)	20(1)
17.	नौगांवा सादत (जे0पी0 नगर)	20(1)
18.	ओयल धाकवा लखीमपुर (लखीमपुर)	20(1)
19.	पाली (हरदोई)	20(1)
20.	पुरकाज़ी (मुज्ज़फरनगर)	20(1)
21.	रामपुर मानीहारी (सहारनपुर)	20(1)
22.	सहसपुर (बिजनौर)	20(1)
23.	सारायमीरा (आज़मगढ़)	20(1)
24.	शासनी (महामाया नगर)	20(1)
25.	शंकरगढ़ (इलाहाबाद)	20(1)
26.	शिघई भिन्दौरा (लखीमपुर खीरी)	20(1)
27.	शिंघौली (सीतापुर)	20(1)
28.	टिटरो (सहारनपुर)	20(1)
29.	थानाभवन (मुज्ज़फरनगर)	20(1)
30.	ऊझारी (जे0 पी0 नगर)	20(1)

परिशिष्ट–4

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.9.1; पृष्ठ सं0–5)

तुलन पत्र तैयार न किया जाना

(प्राप्ति एवं भुगतान लेखों का रखरखाव न किया जाना)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम
1.	शासनी, महामाया नगर
2.	मानिकपुर, चित्रकूट
3.	सरायमीर, आज़मगढ़
4.	केराकत, जौनपुर
5.	शंकरगढ़, इलाहाबाद
6.	शिघई भिन्दौरा, लखीमपुर खीरी
7.	बेनीगंज, हरदोई
8.	जलालाबाद, मुजफ़्फरनगर
9.	थाना भवन, मुजफ़्फरनगर
10.	महोली, सीतापुर
11.	शिंघौली, सीतापुर
12.	सहसपुर, बिजनौर
13.	पुरकाज़ी, मुजफ़्फरनगर
14.	हरगवां, सीतापुर
15.	कठघर लालगंज, आज़मगढ़
16.	गोपामऊ, हरदोई
17.	पाली, हरदोई
18.	झालू, बिजनौर
19.	मछलीशहर, जौनपुर

परिशिष्ट–5

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.9.2; पृष्ठ सं0–5)

नगर पालिका परिषदों में रोकड़बही से बैक पास बुकों का मिलान न किया जाना

(रु0 लाख में)

क्र. सं.	नगर पालिका परिषद का नाम	अवधि	रोकड़बही के अनुसार अवशेष	पास बुक के अनुसार अवशेष	अन्तर
1.	मऊरानीपुर (झाँसी)	31–03–04	20.20	9.00	11.20
2.	कैराना (मुजफ्फरनगर)	तदैव	46.53	46.78	–0.25
3.	कण्डला (मुजफ्फरनगर)	तदैव	63.36	67.58	–4.22
				योग–	**6.73**

परिशिष्ट–6

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.9.2; पृष्ठ सं0–5)

अवशेषों का मिलान न किया जाना

क्र0सं0	नगर पंचायत का नाम
1.	कटघर लालगंज (आज़मगढ़)
2.	केराकत (जौनपुर)
3.	मड़ियाहूँ (जौनपुर)
4.	जलालाबाद (मुजफ़्फरनगर)
5.	थाना भवन (मुजफ़्फरनगर)
6.	शंकरगढ़ (इलाहाबाद)
7.	मानिकपुर (चित्रकूट)
8.	खीरी (लखीमपुर)
9.	साहसपुर (बिजनौर)
10.	नौगवां सादत (जे0 पी0 नगर)
11.	सिंधौली (सीतापुर)
12.	अम्बेहरा (सहारनपुर)
13.	महोली (सीतापुर)
14.	बड़ापुर (बिजनौर)
15.	पुरकाज़ी (मुजफ़्फरनगर)
16.	हरगांव (सीतापुर)
17.	कॉठ (जे0 पी0 नगर)
18.	सासनी (महामाया नगर)
19.	गोपामऊ (हरदोई)
20.	बेनीगंज (हरदोई)
21.	पाली (हरदोई)
22.	उझारी (जे0 पी0 नगर)
23.	झालू (बिजनौर)
24.	टिटरो (सहारनपुर)
25.	सरायमीर (आज़मगढ़)
26.	मेहनगर (आज़मगढ़)
27.	ओयल धाकवा लखीमपुर (लखीमपुर)
28.	मछलीशहर (जौनपुर)

परिशिष्ट–7

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.9.3; पृष्ठ सं0–5)

नगर पंचायतों में परिसम्पत्ति पंजिका का रखरखाव न किया जाना

क्र0सं0	नगर पंचायत का नाम
1.	मानिकपुर, चित्रकूट
2.	शंकरगढ़, इलाहाबाद
3.	बेनीगंज, हरदोई
4.	महोली सीतापुर
5.	सिधौली, सीतापुर
6.	बुधापुर, बिजनौर
7.	हरगावाँ, सीतापुर
8.	गोपामऊ, हरदोई
9.	झालू, बिजनौर

परिशिष्ट–8

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.9.6; पृष्ठ सं0–6)

नगर निगमों के अप्रयुक्त अवशेष (2004–05)

2001–02

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	सत्र	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1	गाज़ियाबाद	2001–02	737.00	4681.73	5418.73	4573.41	845.33
2	गोरखपुर	2001–02	562.17	2781.85	3344.02	2369.06	974.96
3	आगरा	2001–02	245.04	5176.89	5421.93	4639.99	781.94
4	लखनऊ	2001–02	1775.75	10347.33	12123.08	9296.93	2826.15
						योग	**5428.38**

2002–03

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	सत्र	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1	गाज़ियाबाद	2002–03	845.33	5831.98	6677.31	5155.88	1521.43
2	गोरखपुर	2002–03	974.96	3701.40	4676.36	2960.50	1715.86
3	आगरा	2002–03	781.94	4689.59	5471.52	4481.35	990.17
4	लखनऊ	2002–03	2826.15	17252.56	20078.71	14608.39	5470.32
						योग	**9697.78**

2003–04

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	सत्र	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
1	गाज़ियाबाद	2003–04	1521.43	5314.98	6836.41	5208.07	1628.34
2	गोरखपुर	2003–04	1715.86	3614.01	5329.87	4281.40	1048.47
3	आगरा	2003–04	990.17	4078.27	5068.44	3905.75	1162.69
4	लखनऊ	2003–04	5470.32	11782.70	17253.02	10954.11	6298.91
						योग	**10138.41**

परिशिष्ट–9

(सन्दर्भ प्रस्तर–1.9.6; पृष्ठ सं0–6)

नगर पालिका परिषदों की अप्रयुक्त निधियां (2004–05)

1.

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद का नाम	वर्ष	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम अवशेष
1.	गन्नौरा जे0बी0पी0 नगर	2001–02	15.03	71.94	80.76	6.21
2.	हरदोई	2001–02	45.80	365.46	372.91	38.35
3.	मल्लावां, हरदोई	2001–02	37.38	105.12	100.62	41.88
4.	शाहजहाँपुर **	2001–02	67.10	693.98	693.24	67.84
5.	पलियाकला, लखीमपुर	2001–02	12.19	87.44	99.32	0.31
6.	फतेहपुर	2001–02	0.81	543.21	520.72	23.30
7.	अतर्रा, बाँदा	2001–02	12.36	122.80	122.05	13.11
8.	कालपी, जालौन	2001–02	8.92	177.00	128.35	57.57
9.	शिकोहाबाद***	2001–02	5.11	216.93	196.59	25.45
10.	मुँगरा बादशाहपुर (जौनपुर)	2001–02	10.83	70.53	55.91	25.45
11.	कन्नौज****	2001–02	7.78	265.49	158.46	114.81
12.	मोदीनगर	2001–02	97.80	373.47	313.28	157.99
13.	कैराना, मुजफ़्फरनगर	2001–02	25.63	184.26	173.38	36.51
14.	कायमगंज, फर्रूखाबाद	2001–02	12.38	98.97	96.94	14.41
15.	ललितपुर	2001–02	65.09	283.36	302.75	45.70
16.	बाँदा	2001–02	19.46	297.12	250.12	66.46
	योग–		**443.67**	**3957.08**	**3665.40**	**735.35**

2.

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद का नाम	वर्ष	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम अवशेष
1.	घनौरा जे0बी0पी0 नगर	2002–03	6.21	100.07	74.48	31.80
2.	हरदोई	2002–03	38.35	460.09	376.82	121.62
3.	मल्लावा, हरदोई	2002–03	41.88	136.23	127.63	50.48
4.	शाहजहाँपुर **	2002–03	67.84	888.53	841.74	114.63
5.	पलियाकला लखीमपुर	2002–03	0.31	115.90	108.71	7.50
6.	फतेहपुर	2002–03	23.30	702.70	583.69	142.31
7.	अतर्रा, बाँदा	2002–03	13.11	143.24	108.33	48.02
8.	कालपी, जालौन	2002–03	57.57	180.67	167.91	70.33
9.	शिकोहाबाद***	2002–03	25.45	304.58	267.41	62.62
10.	मुंगरा बादशाहपुर (जौनपुर)	2002–03	25.45	77.78	74.77	28.46
11.	कन्नौज****	2002–03	114.81	288.77	243.38	160.20
12.	मोदीनगर	2002–03	157.99	511.65	430.03	239.61
13.	कैराना, मुजफ़्फरनगर	2002–03	36.51	299.63	218.74	117.40
14.	कायमगंज, फर्रूखाबाद	2002–03	14.41	126.17	111.42	29.16
15.	ललितपुर	2002–03	45.70	387.42	345.64	87.48
16.	बाँदा	2002–03	66.46	394.11	285.12	175.45
	योग		**735.35**	**5117.54**	**4365.82**	**1487.07**

3.

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद का नाम	वर्ष	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम अवशेष
1.	घनौरा जे0बी0पी0 नगर	2003–04	31.80	115.40	88.60	58.60
2.	हरदोई	2003–04	121.62	604.26	398.10	327.78
3.	मल्लावा, हरदोई	2003–04	50.48	152.87	184.29	19.06
4.	शाहजहाँपुर **	2003–04	114.63	728.12	765.48	77.27
5.	पालियाकला लखीमपुर	2003–04	07.50	108.85	83.43	32.91
6.	फतेहपुर	2003–04	142.31	507.91	594.11	56.12
7.	अतर्रा, बाँदा	2003–04	48.02	91.44	74.55	64.91
8.	कालपी, जालौन	2003–04	70.33	187.84	194.54	63.63
9.	शिकोहाबाद***	2003–04	62.62	728.84	229.21	562.25
10.	मुंगरा बादशाहपुर (जौनपुर)	2003–04	28.46	77.11	67.51	38.06
11.	कन्नौज****	2003–04	159.39	624.94	408.27	376.06
12.	मोदीनगर	2003–04	239.61	492.38	590.31	141.68
13.	कैराना, मुजफ़्फरनगर	2003–04	117.40	195.90	208.43	104.87
14.	कायमगंज, फर्रूखाबाद	2003–04	29.16	106.53	98.96	36.73
15.	ललितपुर	2003–04	87.48	299.93	273.26	114.15
16.	बाँदा	2003–04	175.45	295.11	444.77	25.79
	योग–		**1486.26**	**5317.43**	**4703.82**	**2099.87**

टिप्पणी–

* 2003–04 के दौरान रिवाल्विंग फण्ड रु0 35.00 लाख प्राप्त हुआ एवं व्यय केवल रु0 8.77 लाख।

** रिवाल्विंग फण्ड रु0 80.00 लाख दो वर्षो से अप्रयुक्त पड़ा रहना (2002–03, 2003–04)।

*** रु0 4.50 लाख रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि वर्ष 2002–04 में प्राप्त हुई थी जो 31.03.2004 तक उपयोग की जानी थी। लेखापरीक्षा की तिथि तक अप्रयुक्त पड़ी थी।

**** वर्ष 2002–03 के अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2003–04 के प्रारम्भिक अवशेष में रु0 0.81 लाख का अन्तर।

परिशिष्ट–10

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.7; पृष्ठ सं0–11)

नगर पालिका परिषदों में किराया उपकरों एवं करों की वसूली न करना (2004–05)

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद का नाम	टाइप	प्रा0 अवशेष	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	वास्तविक अवशेष	अवशेष वसूली
1.	घनौरा, जे0 पी0 नगर	जलकर	2.14	1.30	3.44	1.58	1.86
		तहबाजारी	1.28	8.90	10.18	7.64	2.54
		दुकान किराया	1.16	1.02	2.18	1.37	0.81
2.	पलियाकला, लखीमपुर खीरी	गृहकर	5.38	4.83	10.21	3.48	6.73
		जलकर	3.74	4.77	8.51	5.25	3.26
		दुकान किराया	0.52	1.11	1.63	0.97	0.66
		तहबाजारी	1.99	1.50	3.49	1.12	2.37
3.	अतर्रा, बांदा	गृहकर	4.83	2.27	7.10	2.59	4.51
4.	कालपी जालौन	गृहकर	8.56	5.33	13.89	3.89	10.00
		दुकान किराया	1.24	1.33	2.57	1.33	1.24
5.	शिकोहाबाद	गृहकर	48.91	19.43	68.34	15.17	53.17
		जलकर	36.21	14.38	50.59	9.59	41.00
		जल चार्जेज	64.55	19.20	83.75	6.09	77.66
		किराया	4.50	1.20	5.70	0.12	5.58
6.	कन्नौज	गृहकर	13.18	3.50	16.68	5.41	11.27
		जलकर	12.51	6.76	19.27	9.11	10.16
		जल चार्जेज	1.93	0.50	2.43	0.31	2.12
7.	कैराना, मुजफ़्फरनगर	गृहकर	11.43	7.87	19.30	5.58	13.72
		जलकर	13.21	7.61	20.82	4.35	16.47
		शो कर	00	0.64	0.64	0.34	0.30
8.	कण्डला, मुजफ़्फरनगर	गृहकर	2.46	2.90	5.36	0.61	4.75
		जलकर	1.73	2.45	4.18	0.44	3.74
		तहबाजारी	0.16	5.28	5.44	5.21	0.23
		लाइसेंस फी	0.08	0.31	0.39	0.25	0.14
		जल चार्जेज	1.88	7.50	9.38	2.15	7.23
		शीवर कर	0.52	0.23	0.75	0.06	0.69
		शो कर	0.52	0.10	0.62	00	0.62
9.	बाँदा	तहबाजारी	1.93	31.56	33.49	32.81	0.68
		गृहकर	43.17	18.78	61.95	40.72	21.23
10.	हापुड़	लाइसेंस फी	1.36	0.37	1.73	00	1.73
11.	महमूदाबाद, सीतापुर	जल चार्जेज	1.94	1.19	3.13	0.76	2.37
		तहबाजारी	0.82	0.26	1.08	0.21	0.87

		कर केस	1.15	0.82	1.97	0.55	1.42
		गृहकर	2.58	2.88	5.46	0.47	4.99
12.	कर्वी, चित्रकूट	गृहकर	7.08	3.61	10.69	4.03	6.66
		तहबाजारी	1.03	1.05	2.08	0.97	1.11
		दुकान किराया	2.18	5.91	8.09	5.85	2.24
		विविध	00	5.36	5.36	4.22	1.14
13.	सहारनपुर	गृहकर	113.30	136.59	249.89	96.38	153.51
		जलकर	143.56	163.59	307.15	109.63	197.52
		सीवर कर	22.93	21.91	44.84	14.82	30.02
		सिनेमा कर	0.68	3.07	3.75	3.15	0.60
14.	बुलन्दशहर	गृहकर	50.03	62.09	112.12	46.10	66.11
		जलकर	40.66	55.29	95.95	38.61	57.34
		शो कर	6.08	4.63	10.71	1.37	9.34
		जल कास्ट	0.44	8.00	8.44	6.88	1.56
		लाइसेंस फी	00	0.60	0.60	0.40	0.20
		दुकान	0.28	7.70	7.98	7.78	0.20
		बिल्डिंगस					
		प्लाट्स	17.86	66.15	84.01	67.24	16.77
		तहबाजारी	0.40	0.41	0.81	0.17	0.64
		डिपोज़िट	00	15.58	15.58	15.57	0.01
		विविध					
योग			**704.08**	**749.62**	**1453.70**	**592.61**	**861.09**

परिशिष्ट–11
(सन्दर्भ प्रस्तर–2.8 ; पृष्ठ सं0–11)
नगर पालिका परिषदों में निधियों को अप्रयुक्त रखना

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगरपालिका परिषद का नाम	योजना का नाम	धनराशि 31.03.2004
1.	घनौरा, जे0 पी0 नगर	रिवाल्विंग फण्ड 11वां वित्त आयोग	6.23 1.71
2.	पलियाकला, लखीमपुर खीरी	11 वां वित्त आयोग	14.10
3.	अतर्रा, बाँदा	एस.एफ.सी. एवं ई.एफ.सी. ड्राई टायलेट को फ्लस टायलेट में बदलना	122.57 2.25
4.	मऊरानीपुर, झाँसी	आवासीय योजना वाणिज्यिक योजना क्रासिंग मरम्मत योजना, एवं बध गृहों का निर्माण	39.53
5.	महोबा	एस.एफ.सी. एवं टी.एफ.सी. हेतु रिवाल्विंग फण्ड	69.12 4.50 5.00
6.	शिकोहाबाद	पेयजल एवं नालियॉ,	6.53*
7.	मुंगरा, बादशाहपुर	रिवाल्विंग फण्ड	20.00
8.	कैराना, मुज्ज़फरनगर	सरकारी अनुदान एवं परिषद अंशदान	19.18
9.	ललितपुर	रोड फण्ड, रोड ग्राण्ड, एम.पी. फण्ड, संक्रामक बीमारी, मतदान सूची, स्थानीय निकाय, एम.एल.ए. फण्ड, सी.डी.ओ.	0.99 1.77 0.04 0.36 0.02 0.16 0.95 1.00
10.	हापुड़	स्कूल भवन, स्ट्रीट लाइट एवं सफाई उपकरणों का निर्माण मलिन बस्ती, वेतन एवं विकास, विकास निर्माण कार्य	0.45 2.50 26.00 34.28 2.41 2.51
11.	कर्वी, बाँदा	सी.एफ.सी.	10.85
12.	हमीरपुर	धाबी घाट का निर्माण एवं मरम्मत सी.एफ.सी.	5.00
13.	राम नगर, वाराणसी	एस.एफ.सी. की संस्तुतियों पर	45.41
		योग :–	**445.42**

नोट* दिनांक 25.03.2003 को प्राप्त धनराशि रु0 6.53 लाख अधिशासी अभियन्ता जल निगम फिरोजाबाद (कार्यदायी संस्था) को स्थानान्तरित किया गया किन्तु एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के उपरान्त भी कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यपूर्ण होने की सूचना नहीं दी गयी जिससे लाभार्थी वांच्छित सुविधा से वंचित हुए।

परिशिष्ट–12

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.10; पृष्ठ सं0–12)

नगर पालिका परिषदों में नीलामी की धनराशि की वसूली न किया जाना

क्र0 सं0	नगर पालिका परिषद	ठेके का नाम	सत्र	धनराशि (रू0 में)
1.	बदायूँ	टाँगा स्टैड	1996–97	21,000
2.		गुरा थुड़	2000–01	1,500
3.		लोडिंग अनलोडिंग	2000–01	36,129
4.		सब्जी मण्डी	2000–01	1,27,264
5.		तहबाजारी	2000–01	1,00,000
6.		ठेका पार्किंग	2001–02	3,14,000
7.		ठेका पार्किंग	1998–99	1,42,800
8.		मीट मार्केट	1994–95	2,000
			योग :–	**7,44,693**
1.	कैराना, मुज्ज़फरनगर	ठेका नाला	1988	325
2.		ठेका नाला	1992	2,275
3.		मज़हरा शुल्क	1995–96	1,414
4.		मेला छड़ियान	1996–97	20,000
5.		फसल बागबहार	2001–02	300
6.		पार्किंग	2001–02	1,01,000
7.		पार्किंग	2002–03	34,810
8.		स्लॉटर हाउस	2001–02	42,250
9.		मधुमक्खी छत्ता से नीलामी	–––	300
			योग :–	**2,02,674**
			कुल योग :–	**9,47,367**

परिशिष्ट–13

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.16 ; पृष्ठ सं0–15)

नगर पालिका परिषदों में अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

क्र.सं.	एन0पी0पी0 का नाम	कर्मचारी का नाम	प्रयोजन जिस हेतु अग्रिम दिया गया	अग्रिम दिये जाने की तिथि	धनराशि (रू0 में)
1.	मुंगरा, बादशाहपुर (जौनपुर)	वी0एस0 गौतम	स्कूल की मरम्मत	08.10.1986	5000.00
2.	––तदैव––	खुर्शीद अहमद	ट्रैक्टर की मरम्मत	27.03.1996	8000.00
3.	––तदैव––	तेज बहादुर लाल	––तदैव––	17.05.2000 25.05.2000	2000.00 4000.00
4.	––तदैव––	गंगा सिंह	स्पेंडल रॉड हैण्डपम्प की मरम्मत छुद्र मरम्मत जलकल	28.11.2000 14.05.2001 29.10.2001 05.10.2002	4000.00 5000.00 1200.00 1000.00
5.	––तदैव––	आर0एन0 गुप्ता	म्यूजिक सिस्टम की खरीदारी	04.06.1998	7000.00
6.	––तदैव––	अरूण कुमार पाण्डेय	ट्यूबेल भवन का निर्माण ––तदैव–– ––तदैव–– ––तदैव––	04.07.2003 07.07.2003 15.07.2003 30.07.2003	25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
7.	––तदैव––	गंगा सिंह फिटर	जल रिसाव को ठीक करना ट्रॉली की मरम्मत पाइप क्लेम्प आदि की खरीदारी	30.07.2003 30.07.2003 11.08.2003	1450.00 6750.00 70000.00
8.	––तदैव––	अरूण कुमार पाण्डेय	दरवाजे और खिड़की की खरीदारी	20.08.2003	6500.00
				योग :–	**202400.00**

परिशिष्ट–14

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.17 ; पृष्ठ सं0–15)

नगर पालिका परिषदों में कार्यपूर्ण करने में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर दण्ड अधिरोपित न करना

(रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	विलम्ब की अवधि	धनराशि
1.	नाला का कार्य (कोहली ट्रांसपोर्ट से एस0बी0आई0)	24.12.2001	19.06.2002	145 दिन	7250.00
2.	नाला का कार्य (मो0 बरशंदा मस्जिद क्रासिंग से पुजारी कैम्प तक)	24.12.2001	18.06.2002	144 दिन	7200.00
3.	नाला एवं सोलिंग कार्य (शारदा बेकरी वाले के मकान से मुल्ला जी परचून की दुकान तक	24.10.2001	28.04.2002	154 दिन	7700.00
4.	रोड निर्माण (भेल सिंह क्रासिंग की पुलिया से राधा किशन मन्दिर क्रासिंग तक)	18.01.2002	30.12.2002	312 दिन	15600.00
			योग :–	**755 दिन**	**37750.00**

परिशिष्ट–15 (a)

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.18 (i) ; पृष्ठ सं0 16)

नगर पंचायत में गृह कर की वसूली न किया जाना

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	मद	अवशेष धनराशि दिनांक 31.03.2003	मांग वर्ष 2003–04	योग	कुल वसूली	अवशेष दिनांक 31.03. 2004 को
1	झालू, बिजनौर	गृहकर	6.62	2.13	8.75	1.05	7.70
2	उझरी, जे0पी0 नगर	गृहकर	2.51	0.72	3.23	1.11	2.12
3	गोपामऊ, हरदोई	गृहकर	4.75	0.00	4.75	0.47	4.28
4	रामपुर मनिहारी, सहारनपुर	गृहकर	0.97	4.59	5.56	4.89	0.67
5	मेह नगर, आज़मगढ़	गृहकर	3.70	0.00	3.70	1.03	2.67
6	कटघर लालगंज आजमगढ़	व्यापार/भवनकर	8.36	0.00	8.36	2.05	6.31
7	हरगांव सीतापुर	गृहकर	4.87	1.90	6.77	0.21	6.56
8	पुरकाजी, मुज्ज़फरनगर	गृहकर	5.16	5.34	10.50	3.67	6.83
9	बुद्धापुर, बिजनौर	गृहकर	0.65	5.00	5.65	0.30	5.35
10	सहसपुर, बिजनौर	गृहकर	0.57	1.20	1.77	0.03	1.74
11	सिधौली, सीतापुर	गृहकर	0.00	8.64	8.64	0.72	7.92
12	थाना भवन, मुज्ज़फरनगर	गृहकर	3.84	4.20	8.04	3.74	4.30
13	जलालाबाद, मुज्ज़फरनगर	गृहकर	3.08	2.30	5.38	1.60	3.78
14	मानिकपुर, चित्रकूट	गृहकर	6.88	3.48	10.36	0.94	9.42
15	केराकत, जौनपुर	गृहकर	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10
16	अम्बेहरा, सहारनपुर	गृहकर	0.24	2.84	3.08	2.56	0.52
17	खेहरी लखीमपुर	गृहकर	0.67	1.18	1.85	0.89	0.96
18	मछलीशहर, जौनपुर	गृहकर	5.24	1.06	6.30	0.00	6.30
		योग :–	**60.21**	**44.58**	**104.79**	**25.26**	**79.53**

परिशिष्ट–15 (b)

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.18 (ii) ; पृष्ठ सं0–16)

नगर पंचायतों में किराया, उपकरों एवं करों की वसूली न किया जाना

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	मद	अवशेष धनराशि 31.03.2003	वर्ष 2003–04 के दौरान मांग	कुलयोग	कुल वसूली	31.03. 2004 को अवशेष
1.	झालू, बिजनौर	जलमूल्य	3.29	2.86	6.15	1.51	4.64
		(तहबाजारी मुर्दा मवेशी वधगृह)	1.31	3.21	4.52	2.84	1.68
2.	उझरी, जे0पी0 नगर	जलमूल्य,	2.69	1.75	4.44	1.10	3.34
		वधगृह	5.86	3.77	9.63	3.91	5.72
3.	पाली, हरदोई	दुकान किराया	0.94	2.23	3.17	1.98	1.19
		जलमूल्य	1.15	1.58	2.73	0.62	2.11
4.	कण्ठ, जे0पी0 नगर	जलमूल्य	0.40	1.74	2.14	1.47	0.67
5.	रामपुर मनिहारी, सहारनपुर	जलकर	0.83	3.60	4.43	3.62	0.81
		जलमूल्य	0.02	0.62	0.64	0.57	0.07
		अन्य	0.12	1.91	2.03	1.86	0.17
6.	मेह नगर, आज़मगढ़	व्यापार कर	1.85	00	1.85	0.39	1.46
		जलमूल्य	1.09	0.50	1.59	0.63	0.96
		भूमि हस्तान्तरण फीस एवं अन्य	1.86	1.88	3.74	1.97	0.17
7.	कटघर लालगंज, आजमगढ़	टैक्सी/तहबाजारी	1.45	2.66	4.11	3.51	0.60
8.	हरगोवाँ, सीतापुर	तहबाजारी	0.21	0.41	0.62	0.41	0.21
		टैक्सी स्टैण्ड	0.45	0.67	1.12	0.58	0.54
		पार्किंग	0.36	0.02	0.38	0.01	0.37
		मरे पशुओं का कारकस					
9.	पुरकाजी, मुजफ़्फरनगर	तहबाजारी एवं मुर्दा मवेशी	1.69	5.43	7.12	5.80	1.32
		जलमूल्य	2.16	1.95	4.11	1.41	2.70
		भूमि भवन कर	0.68	0.37	1.05	0.33	0.72
		व्यापार	0.07	1.45	1.52	1.11	0.41
10.	बुद्धापुर, बिजनौर	तहबाजारी	0.97	3.40	4.37	3.41	0.96
		जलमूल्य	0.29	2.24	2.53	2.42	0.11
11.	सहसपुर, बिजनौर	तहबाजारी जलमूल्य	00	2.81	2.81	0.75	2.06
			00	3.00	3.00	0.90	2.10

12.	सिधौली, सीतापुर	जलमूल्य	6.17	5.35	11.52	4.35	7.17
		दुकान भवन, प्लाट	1.02	1.23	2.25	0.97	1.28
		तालाब	00	0.03	0.03	00	0.03
		अन्य	0.11	0.01	0.12	0.01	0.11
13.	थाना भवन, मुजफ़्फरनगर	जलमूल्य	2.43	3.00	5.43	2.59	2.84
		तहबाजारी	0.60	1.12	1.72	1.53	0.19
		प्लाट भवन/ दुकान एवं अन्य का किराया	1.80	13.27	15.07	14.01	1.06
14.	जलालाबाद, मुजफ़्फरनगर	जलमूल्य	1.70	2.05	3.75	2.43	1.32
		तहबाजारी	0.05	0.31	0.36	0.31	0.05
		मुर्दामवेशी/अन्य	2.19	5.05	7.24	5.89	1.35
15.	मानिकपुर, चित्रकूट	मरे हुए पशुओं/ अन्य का कारकस	00	0.32	0.32	0.24	0.08
16.	आयल दखवा, ललितपुर	जलमूल्य	00	2.35	2.35	1.03	1.32
17.	केराकत, जौनपुर	जलमूल्य	1.85	3.09	4.94	1.43	3.51
18.	अम्बेहरा, सहारनपुर	जलकर	0.20	2.09	2.29	1.86	0.43
		जलमूल्य	0.31	2.88	3.19	2.53	0.66
		तहबाजारी	0.05	2.50	2.55	2.40	0.15
		अन्यकर	0.16	2.11	2.27	2.07	0.20
19.	खीरी, लखीमपुर	जलमूल्य	0.47	1.45	1.92	1.28	0.64
		किराया	0.03	0.34	0.37	0.35	0.02
20.	मड़ियाहू, जौनपुर	सिनेमा हाल	0.36	0.11	0.47	0.03	0.44
		जलमूल्य	3.80	1.74	5.54	1.29	4.25
		दुकानों एवं भवन का किराया	1.39	1.57	2.96	1.38	1.58
		योग :–	**54.43**	**102.03**	**156.46**	**91.09**	**65.37**

परिशिष्ट–16
(सन्दर्भ प्रस्तर–2.19 ; पृष्ठ सं0–16)
अप्रयुक्त निधि

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	ग्राण्ट	वर्ष	प्रयोजन	प्राप्ति	व्यय	अवशेष
1.	उझरी, जे0पी0 नगर	ई0एफ0सी0	2003–04	प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी हेल्थ केयर सुरक्षित पेयजल स्ट्रीट लाइट अनुरक्षण नालियॉ एवं सफाई	0.62	शून्य	0.62
2.	मानिकपुर, चित्रकूट	ई0एफ0सी0 ई0एफ0सी0 एस0एफ0सी0 एस0एफ0सी0	2002–03 2003–04 2002–03 2003–04	–तदैव– –तदैव– –तदैव–	2.13 1.07 17.62 14.22	1.21 –– 15.25 9.53	1.92 1.07 2.37 4.69
3.	शंकरगढ़, इलाहाबाद	ई0एफ0सी0 ई0एफ0सी0	2002–03 2003–04	–– ––	2.73 1.06	0.53 1.04	2.20 0.02
4.	नवागाँव सादत, जे0पी0 नगर	एस0एफ0सी0	2003–04	सड़क निर्माण	50.00	27.77	22.23
5.	सरायमीर, आज़मगढ़	रिवाल्विंग फण्ड	2000–01	नालियों एवं रोड का निर्माण	8.50	4.78	3.72
6.	मेहनगर, आज़मगढ़	रिवाल्विंग फण्ड	2000–01 2002–03	–तदैव– –तदैव–	2.00 10.00	–– 6.86	2.00 3.14
				योग :–	**109.95**	**66.97**	**42.98**

परिशिष्ट–17

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.20; पृष्ठ सं0–17)

शासनादेश के अनुसार में अनुज्ञप्ति शुल्क के अनारोपण से राजस्व की हानि

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	अवधि तक	देय लाइसेन्स फीस	लाइसेन्स फीस की वसूली	अनिस्तारित धनराशि
1.	बेनीगंज, हरदोई	2003–04	9.00	शून्य	9.00
2.	सेगई, भिंदोरा, लखीमपुर	2003–04	2.16	0.09	2.07
3.	आयल दखवा, लखीमपुर	2003–04	0.67	0.11	0.56
				योग :–	**11.63**

परिशिष्ट–18

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.22 ; पृष्ठ सं0–18)

स्टाम्प डयूटी न लगाये जाने से राजस्व हानि

(रु0 लाख में)

क्र0सं0	नगर पंचायत का नाम	अवधि	अनारोपण
1.	सरायमीर, आज़मगढ़	2003–04	0.10
2.	बुद्धापुर, बिजनौर	2003–04	0.27
3.	सहसपुर, बिजनौर	2003–04	0.21
4.	सासनी, महामायानगर	2002–04	2.06
5.	नौगवां सादत, जे0पी0 नगर	1989–2004	0.05
6.	शंकरगढ़, इलाहाबाद	2003–04	0.07
7.	माड़ियांहू, जौनपुर	2003–04	0.33
		योगः–	**5.09**

परिशिष्ट–19

(सन्दर्भ प्रस्तर–2.23; पृष्ठ सं0–18)

आयकर एवं व्यापार कर का न जमा किया जाना/न कटौती किया जाना

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	ठेकेदार का भुगतान	आयकर की कम कटौती	व्यापार कर की कटौती नहीं	व्यापार कर की कम कटौती	व्यापार की कटौती की राशि सरकारी खाते में जमा न करना	आयकर की कटौती न किया जाना	आयकर सरकारी खाते में जमा न किया जाना	योग
1.	नगर पंचायज झालू, बिजनौर	6.91	0.01	–	–	–	–	–	0.01
2.	नगर पंचायत शंकरगढ़, इलाहाबाद	–	–	–	–	0.17	–	0.13	0.30
3.	नगर पंचायत सरायमीर, आज़मगढ़	3.89	–	0.16	–	–	0.09	–	0.25
4.	नगर पंचायत महिनगर, आज़मगढ़	2.95	–	0.12	–	–	0.06	–	0.18
5.	नगर पंचायत कटघर लालगंज, आज़मगढ़	4.81	–	0.16	–	–	0.09	–	0.25
6.	नगर पंचायत सासनी, महामायानगर	4.12	–	0.04	–	0.17	0.02	0.07	0.30
7.	नगर पंचायत केराकत, जौनपुर	0.99	0.01	–	0.03	–	–	–	0.04
	योग :–	**23.67**	**0.02**	**0.48**	**0.03**	**0.34**	**0.26**	**0.20**	**1.33**